न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), एफ0टी0सी0 फैजाबाद।

स0प्र0 वाद संख्या–142/15

1–बीना सिंह पत्नी सूर्य भान सिंह

2–उत्कर्ष सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह

3–अंशिका पुत्री सूर्यभान सिंह

2 ता. 3 नाबालिगान संरक्षिका माता स्वयं श्रीमती बीना सिंह

समस्त निवासीगण अछौरा, परगना–पश्चिमराठ, तहसील–मिल्कीपुर, फैजाबाद।

———— प्रार्थीगण ।

बनाम

राज्य उ0प्र0 ————विपक्षी।

एवं

एम0एन0आर0 वाद संख्या–05/16

निर्मला देवी पत्नी स्व0 सूर्यभान सिंह पुत्री स्व0 दुर्गा बक्श सिंह निवासी अछौरा, परगना–पश्चिमराठ, तहसील–मिल्कीपुर, फैजाबाद।

————प्रार्थिनी।

बनाम

राज्य उ0प्र0 ————विपक्षी।

20.12.2018 ——————

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

उपरोक्त दोनों वादों में एक ही पक्षकार थे और दोनों वादों में एक ही साक्ष्य आना था। अतः मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 26.7.17 को दोनेां वादों का निस्तारण एक साथ किए जाने हेतु आदेश पारित करते हुए एम0एन0आर0

वाद संख्या–142/15 बीना सिंह आदि बनाम सरकार तथा एम0एन0आर0 वाद संख्या–वाद संख्या–05/16 निर्मला देवी सरकार को समेकित वाद माना गया एवं प्रकीर्ण वाद संख्या–142/15 बीना सिंह बनाम सरकार की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली माना गया।

<u>एम0एन0आर0 वाद संख्या–142/15</u>

प्रार्थिनी बीना सिंह पत्नी स्व0 सूर्यभान सिंह निवासी ग्राम–अछौरा, परगना–पश्चिम राठ, तहसील–मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद द्वारा प्रा0 पत्र 3क1 अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मृतक स्व0 सूर्यभान सिंह निवासी ग्राम–अछौरा, परगना–पश्चिम राठ, तहसील–मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद जिनकी मृत्यु दिनांक 22.6.2015 को हो गयी है मृतक के नाम बैंक आफ बड़ौदा फतेहगंज रोड फैजाबाद बचत खाता संख्या–00500100010989 जमा धनराशि मु0 20,68,967,00/–रूपये, स्टेट बैंक बचत खाता संख्या–10102001302 जमा धनराशि 1086950/–रूपये संपूर्ण धनराशि मु0 31,55,917,00/रूपये (इकतीस लाख पचपन हजार नौ सौ स़त्रह रूपये) मय ब्याज के बाबत् उत्त्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गई है।

निर्मला सिंह द्वारा अपनी आपत्ति का0सं0 10ग2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आपत्तिकत्री ही मृतक सूर्यभान सिंह पुत्र स्व0 दुर्गा बक्श सिंह निवासी ग्राम–अछौरा हैरिंग्टनगंज, परगना–पश्चिम राठ जिला–फैजाबाद की व्याहता पत्नी है और मृतक सूर्यभान सिंह की एक मात्र उत्तराधिकारी है। आवेदिका बीना सिंह ने यह तथ्य जान बूझकर न्यायालय को धोखा देने की नियत से छिपाया है। आवेदिका श्रीमती बीना सिंह मृतक सूर्यभान सिंह की पत्नी नहीं है और न ही मृतक की उत्तराधिकारी है और न ही प्रार्थीगण संख्या–2 व 3 ही मृतक सूर्यभान सिंह के उत्तराधिकारी हैं। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रा0 पत्र झूठे अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थिनी बीना सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिनी मृतक की पत्नी है। प्रस्तुत मामले में प्रकाशन तथा मुनादी करायी गई है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची 22ग के माध्यम से प्रा0 पत्र मध्यांचल विद्युत विवरण तिथि, एफ0डी0 सूर्यभान सिंह, पास बुक बैंक आफ बड़ौदा, एल.आई.सी. बांड सूर्यभान सिंह तीन किता, पास बुक एस.बी.आई. परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड तीन किता, सूची 18ग से सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि वाद पत्र बमुकदमा सूर्यभान सिंह बनाम श्रीमती निर्मला देवी, प्रतिलिपि प्रतिवाद पत्र बमुकदमा सूर्यभान सिंह बनाम श्रीमती निर्मला देवी, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 24.10.09, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रथम अपील तथा सूची दिनांकित 25.8.15 से मृत्यु प्रमाण–पत्र सूर्यभान सिंह, निवास प्रमाण–पत्र, बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक व नकल परिवार रजिस्टर दाखिल किया गया है।

<u>एम0एन0आर0 वाद संख्या–05/16</u>

प्रार्थिनी निर्मला देवी पत्नी स्व0 सूर्यभान सिंह निवासी ग्राम–अछौरा, परगना–पश्चिम राठ, तहसील–मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद द्वारा प्रा0 पत्र 3क1 अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मृतक स्व0 सूर्यभान सिंह निवासी ग्राम–अछौरा, परगना–पश्चिम राठ, तहसील–मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद जिनकी मृत्यु दिनांक 22.6.2015 को हो गयी है मृतक के नाम बैंक आफ बड़ौदा फतेहगंज रोड फैजाबाद बचत खाता संख्या–00500100018989 जमा धनराशि मु0 23,62,182,78/–रूपये, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ, बचत खाता संख्या–10102001302 जमा धनराशि 12,19,223,69/–रूपये संपूर्ण धनराशि मु0 35,81,406.47 पैसा /रूपये (पैंतीस लाख इक्यासी हजार चार सौ छः रूपया सैंतालीस पैसा) मय ब्याज के बाबत् उत्त्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गई है।

विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिनी मृतक की पत्नी है। प्रस्तुत मामले में प्रकाशन तथा मुनादी करायी गई है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची सूची 8ग से सत्य फोटो कापी पत्र दिनांक 2.9.15, दो किता, सत्य फोटो कापी पेंशन भुगतान दो किता, सत्य फोटो कापी उपादान (ग्रेच्यूटी), सत्य फोटो कापी पत्र दिनांक 12.8.15, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि अर्जी दावा सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला देवी, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

जवाबदावा बमुकदमा 23 सन् 81 सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला देवी, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि बयान पी0डब्ल्यू01 व पी0डब्ल्यू02 दो किता, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 26.9.12, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि रिट पिटीशन संख्या–2/98 , सूची 13ग से सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 30,1.12, सूची 10ग से सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19.3.04, सं0प्र0 वाद संख्या–136/1999, तथा सूची 10ग से सत्य फोटो कापी मृत्यु प्रमाण–पत्र, सत्य फोटो कापी आधार कार्ड, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 24.10.09 व सूची 13ग से सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि बयान सूर्यभान सिंह, सत्य फोटो कापी पत्र दिनांक 27.7.11 दाखिल किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थिनी बीना सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थिनी की शादी मृतक सूर्यभान सिंह के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से तथा रूढियों के अनुसार हुयी थी। शादी के बाद प्रार्थिनी ने स्व0 सूर्यभान सिंह के साथ बतौर पत्नी रहकर हक जौजियत अदा किया। स्व0 सूर्यभान सिंह के नुत्फे से प्रार्थिनी के वतन से दो बच्चे भी पैदा हुए जिनके नाम उत्कर्ष उर्फ अंश प्रताप सिंह तथा कु0 अंशिका पैदा हुए जो अभी जीवित हैं और विद्या अध्ययन कर रहें हैं। स्कूल संबंधित कागजात शामिल पत्रावली है। प्रार्थिनी ने अपने कथन में अपने गवाहान का शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें प्रार्थिनी बीना सिंह के दावे का समर्थन किया गया है। प्रार्थिनी के अनुसार उसके पति स्व0 सूर्यभान की मृत्यु दिनांक 22.6.2015 को हो चुकी है एवं प्रार्थिनी ने उनको मिलने वाली धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र अपने पक्ष में जारी किए जाने की याचना की है। प्रार्थिनी बीना सिंह द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि विपक्षी निर्मला देवी द्वारा न तो कभी हक जौजियत अदा किया गया और न ही पत्नी धर्म का पालन किया गया। केवल मुकदमेंबाजी की गयी है। निर्मला देवी एक क्षण भी अपने पति के साथ नहीं रही हैं। ऐसी दशा में उनके प्रा0 पत्र पर कोई आदेश पारित किया जाना संभव ही नहीं है। इस प्रकार प्रार्थिनी बीना सिंह ने उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र अपने एवं नाबालिग बच्चों के पक्ष में निर्गत करने की याचना की है।

प्रार्थिनी निर्मला देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि निर्मला देवी ने यह वाद अपने पति सूर्यभान सिंह के निधन के

बाद मृतक सूर्यभान सिंह द्वारा बैंक आफ बड़ौदा फतेहगंज तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया हजरतगंज लखनऊ में जमा धनराशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है। निर्मला सिंह के अनुसार वाद संख्या–142/15 को इस प्रा0 पत्र के साथ समेकित किया जा चुका है। सूर्यभान सिंह उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियुक्त थे तथा दिनांक 31.10.214 को सेवा निवृत्त हुए थे। सेवा निवृत्त होने के पश्चात दिनांक 22.6.2015 को उनका स्वर्गवास हो गया। प्रार्थिनी निर्मला देवी के अनुसार वास्तव में वे ही सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी हैं एवं बीना सिंह स्व0 सूर्यभान सिंह की पत्नी नहीं है और न ही अन्य आवेदकगण संख्या–2 व 3 मृतक सूर्यभान सिंह के पुत्र व पुत्री हैं। दोनों वाद निस्तारण के लिए इस बिन्दु विचार किया जाना है कि दोनों में से कौन मृतक सूर्यभान सिंह की वास्तविक पत्नी हैं एवं उत्कर्ष एवं अंशिका सिंह मृतक सूर्यभान सिंह के औलाद या उत्तराधिकारी हैं या नहीं। दोनों वादों के कथनों के अनुसार निम्नलिखित बिन्दु विचार एवं निष्कर्ष हेतु विरचित किए गए –

1–क्या श्रीमती बीना सिंह मृतक सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी हैं?

2–क्या आवेदकगण संख्या–2 व 3 मृतक सूर्यभान सिंह के ही पुत्र व पुत्री है?

3–क्या निर्मला देवी मृतक सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी हैं?

उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या–1 व 2 को सिद्ध करने का भार आवेदिका बीना सिंह पर था तथा बिन्दु संख्या–3 को प्रमाणित करने का भार श्रीमती निर्मला देवी पर था।

दोनों ही पक्षों द्वारा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, केवल शपथ पत्र व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

श्रीमती निर्मला देवी के अनुसार अग्रणी वाद संख्या–142/15 में अभिलेखीय साक्ष्य सूची 8ग में क्र0सं0 7 पर वर्णित अभिलेख 8ग/9 मृतक सूर्यभान सिंह द्वारा निर्मला देवी के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए वाद संख्या–23/81 सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला के वाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसके धारा 3 में सूर्यभान सिंह ने यह स्वीकार किया है कि निर्मला देवी का विवाह सूर्यभान सिंह से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था तथा का0सं0 8ग/23 , 8ग/19, 8ग/26 तथा 8ग/30 से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्यभान सिंह ने निर्मला देवी को अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए विवाह

विच्छेद प्राप्त करने हेतु तमामों वाद प्रस्तुत किए थे जो निरस्त होते चले गये। इस तरह सूर्यभान सिंह ने एक अन्य वाद 370/03 सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला देवी कुटुम्ब न्यायाधीश फैजाबाद के न्यायालय में दिनांक 17.11.2003 को प्रार्थिनी निर्मला देवी से विवाद विच्छेद करने के लिए प्रस्तुत किया था जिसकी धारा 1 में यह स्वीकार किया गया था कि सूर्यभान सिंह व निर्मला देवी का विवाह 1970 में हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था । वाद पत्र की धारा 2 में पूर्व में उपरोक्त वर्णित वाद संख्या–23/81 का उल्लेख किया गया है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि श्रीमती निर्मला देवी ने दाम्पत्य अधिकारों की पुर्न स्थापना हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। इसी वाद पत्र की धारा 4 में यह भी उल्लेख है कि सूर्यभान सिंह का वाद आदेश दिनांक 7.11.1984 द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा श्रीमती निर्मला देवी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना हेतु स्वीकार करके पुर्नस्थापना की डिक्री पारित की गयी थी। इसी वाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि सूर्यभान सिंह ने उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील दिनांक 9.9.1998 को गुण–दोष के आधार पर निरस्त कर दी गयी थी। सुस्पष्ट रूप से श्रीमती निर्मला देवी के पक्ष में पारित डिक्री दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना के संबंध में बहाल रही थी। मूलवाद संख्या–370/03 में निर्मला देवी द्वारा लिखित कथन 18ग/7 जिसकी धारा 1 से 16 में यह तथ्य स्वीकार किया गया था कि सूर्यभान सिंह व श्रीमती निर्मला देवी का विवाह माह जून 1972 में हुआ था इसी वाद में पारिवारिक न्यायाधीश श्री तूफानी प्रसाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2009 में वादी का वाद सव्यय निरस्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय पत्रावली पर का0सं0 18ग/14 है। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष अपील संख्या–132/09 प्रस्तुत किया गया इस अपील के विचाराधीन रहते हुए ही सूर्यभान सिंह का निधन हो चुका था जिस कारण यह अपील निष्फल हो गयी थी। उपरोक्त सभी अभिलेखों से यह सुस्पष्ट होता है कि सूर्यभान सिंह (अ0प्र0 वाद संख्या–5/16) की आवेदिका श्रीमती निर्मला देवी को अपनी पत्नी स्वीकार करते चले आए हैं। अभिलेखों के अतिरिक्त निर्मला देवी द्वारा सूची 8ग/1 से क्र0सं0 1 लगा. 6 अर्थात 8ग/3 से 8ग/8 तथा सूची 13ग से प्रस्तुत का0सं0 13ग/11 (जिस पर नम्बर 11ग/11 पड़ा है जो कि लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत नम्बर है) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 जिसमें मृतक सूर्यभान सिंह सेवारत थे द्वारा श्रीमती

निर्मला देवी को सूर्यभान सिंह की मृत्यु के बाद सूर्यभान सिंह द्वारा नामित मृतक की पत्नी निर्मला देवी को पारिवारिक पेंशन तथा उपादान की धनराशि आदि का भुगतान किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि सूर्यभान सिंह ने निर्मला देवी का नाम विभागीय अभिलेखों में भी पत्नी के रूप में लिखा रखा था तथा कहीं भी श्रीमती बीना एवं उत्कर्ष सिंह या अंशिका सिंह का नाम नहीं लिखाया गया था। उपरोक्त सभी साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि निर्मला देवी ही मृतक सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी हैं और वही मृतक सूयभान सिंह की एक मात्र उत्तराधिकारी हैं। जहां तक श्रीमती बीना सिंह का सूर्यभान की पत्नी होने का प्रश्न है वह इस कारण उनकी पत्नी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह अवैध होता है तथा उसे कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्रीमती बीना सिंह ने अपने विवाह के संबंध में कोई तिथि या अन्य विवरण या दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। जहां तक वाद संख्या–142/15 में आवेदकगण संख्या–2 व 3 जो अपने को मृतक सूर्यभान सिंह के पुत्र एवं पुत्री होना कहते हैं उनके संबंध में भी पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके। श्रीमती बीना सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ उत्कर्ष सिंह के आधार कार्ड की फोटो प्रति जिसमें उत्कर्ष सिंह की जन्म तिथि 14.4.2006 अंकित की गयी है तथा कु0 अंशिका सिंह को महर्षि विद्या मंदिर द्वारा निर्गत अचीवमेंट की फोटो प्रति दाखिल है जिसके एक कालम में स्व0 सूर्यभान सिंह का नाम पिता के नाम के स्थान पर लिखा हुआ है किन्तु इन अभिलेखों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उत्कर्ष सिंह आवेदक संख्या–2 तथा कु0 अंशिका सिंह आवेदिका संख्या–3 वास्तव में ही सूयभान सिंह के पुत्र एवं पुत्री हैं। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं उसके अधीन 2002 की नियमावली के अनुसार आवेदकगण का जन्म प्रमाण–पत्र में जन्म देने वाले माता एवं उसके पिता का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाता है, जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा स्कूल में दाखिल के संबंध में भरे जाने वाले फार्म पर भी पिता का नाम एवं हस्ताक्षर होता है जिसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु कोई ऐसा अभिलेख वाद संख्या–142/15 की पत्रावली पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। मूलवाद संख्या–370/03

सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला देवी जो पारिवारिक न्यायालय फैजाबाद मे ंचला था उसमें सूर्यभान सिंह द्वारा शपथ पत्र बयान पी0डब्ल्यू01 दर्ज किया गया था, जिसकी सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि वाद संख्या–5/16 पर का0सं0 13ग2 साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बयान दिनांक 7.3.2008 एवं 7.9.2009 में न्यायालय द्वारा अंकित किया गया था। उक्त बयान के पृष्ठ संख्या–7 पर पैरा 12 महत्वपूर्ण है जिसमें सूर्यभान से यह स्पष्ट सवाल पूछा गया था कि आपने अपना दूसरा विवाह कर लिया है या नहीं जिसका उत्तर सूर्यभान सिंह ने दिया कि यह कहना गलत है कि मैंने 10 वर्ष पूर्व अपना दूसरा विवाह कर लिया है। सूर्यभान सिंह द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि मैंने अपना दूसरा विवाह बलरामपुर में किया है एवं यह भी कहना गलत है कि बलरामपुर की जिस लड़की से मेरी शादी हुयी है उसके एक पुत्र खुशी एवं एक पुत्र अंश उत्पन्न हैं। सूर्यभान सिंह द्वारा उक्त बयान आवेदक संख्या–2 व 3 उत्कर्ष सिंह एवं कु0 अंशिका के जन्म के बाद दिया गया था, इसलिए सूर्यभान सिंह के इस बयान के अनुसार सूर्यभान सिंह ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया था न ही उसकी कोई दूसरी पत्नी ही थी। उक्त बयान से स्पष्ट है कि बीना सिंह व आवेदकगण संख्या–2 व 3 पुत्र व पुत्री सूर्यभान सिंह के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। बीना सिंह द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित हो कि बीना सिंह व उसके पुत्र एवं पुत्री सूर्यभान सिंह के विधिक उत्तराधिकारी हैं। श्रीमती बीना सिंह द्वारा सूची 22ग से जो अभिलेख रिट याचिका से संलग्न की फोटो प्रति मालूम पड़ती है जो कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के फार्म पर लिखे गये हैं उन पर कारपोरेशन के किसी अधिकारी एवं स्व0 सूर्यभान सिंह के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए यह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है न ही साक्ष्य के रूप में पढ़ा ही जा सकता है। अपने आवेदन के साथ में श्रीमती बीना सिंह ने ग्राम–अछोरा के परिवार रजिस्टर की प्रति दाखिल की है जिसमें बीना व अन्य आवेदकगण का नाम स्व0 सूर्यभान सिंह के मरने के बाद लिखा गया है जिसका विरोध प्रार्थिनी निर्मला सिंह द्वारा किया गया था तथा सक्षम अधिकारी द्वारा बीना सिंह के नाम के स्थान पर निर्मला देवी का नाम अंकित किए जाने का आदेश भी पारित किया गया था, जिसे पत्रावली पर का0सं0 21क/7 जो शपथ पत्र 21क के साथ प्रस्तुत किया गया है। पारिवार रजिस्टर

के आधार पर भी आवेदक मृतक सूर्यभान सिंह के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता है। विधि व्यवस्था **2015/4 एस0सी0सी0 (सिविल) 175 ईश्वरी बनाम पार्वती एवं अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि इस तरह के साक्ष्य परिवार रजिस्टर, वोटर लिस्ट, बैंक द्वारा लिखे गये पत्र व एक तरफा स्वयं को पत्नी कहते हुए आवेदन के आधार पर वैवाहिक संबंध होना प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बीना सिंह एवं आवेदकगण संख्या–2 व 3 को सूयभान सिंह की पत्नी पुत्र व पुत्री होना साबित नहीं कर सकी है। इस प्रकार वाद संख्या–142/15 के आवेदकों को उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। बीना सिंह व आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त होने योग्य है।

1–<u>क्या श्रीमती बीना सिंह मृतक सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी हैं?</u>

बीना सिंह ने प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम बाबत जारी किए जाने उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र का0सं0 3क1 एम0एन0आर0 संख्या–142/15 के साथ साक्ष्य के रूप में पेश किए गए दस्तावेजों की सूची दिनांक 25.8.15 के साथ उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण–पत्र प्रेषित किया है, जिसमें उसे स्व0 सूर्यभान सिंह की पत्नी के रूप में दर्शित किया गया है। बीना सिंह द्वारा परिवार रजिस्टर की फोटो कापी भी दाखिल की गयी है, जिसमें सूर्यभान सिंह का नाम दिनांक 22.6.15 को मृत्यु हो जाने के कारण काट दिया गया है। बीना सिंह को सूर्यभान सिंह की पत्नी के रूप में परिवार रजिस्टर में दर्शित किया गया है । बीना सिंह ने अरूण प्रताप सिंह जो उसका सगा भाई है उसका शपथ पत्र का0सं0 15ग2/1 ता. 2 एवं चन्द्रभान सिंह का शपथ पत्र का0सं0 16ग2/1 ता. 2 एवं स्वयं का शपथ पत्र 14ग2/1 ता. 2 दाखिल किया है, जिसमें तीनों ने यह कथन किया है कि बीना सिंह की शादी स्व0 सूर्यभान सिंह निवासी–अछोरा,परगना–पश्चिम राठ, तहसील–मिल्कीपुर, जिला–फैजाबाद के साथ संपन्न हुयी थी एवं शादी में ही बीना सिंह की विदायी हुयी थी। परिवार रजिस्टर में बीना सिंह का नाम स्व0 सूर्यभान सिंह के मरने के बाद लिखा गया है जिसका विरोध निर्मला सिंह द्वारा किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा बीना सिंह के नाम के स्थान पर निर्मला देवी का नाम अंकित किए जाने की आख्या भी प्रेषित की है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। का0सं0

21क/7 जो शपथ पात्र 21क के साथ प्रस्तुत किया गया है। परिवार रजिस्टर के आधार पर भी बीना सिंह मृतक सूर्यभान सिंह के परिवार की सदस्या नहीं मानी जाती। यदि बीना सिंह को मृतक सूर्यभान सिंह की दूसरी पत्नी मान भी लिया जाता है तब भी द्विविवाह के अंतर्गत किए गए उनके विवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता। द्विविवाह बहूपत्नीत्व विवाह के अंतर्गत आता है । बहुंपत्नीत्व विवाह पुरूष को एक साथ एक से अधिक पत्नी रखने की स्वतंत्रता देता है। वैदिक युग से लेकर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने तक हिन्दू विधि बहुपत्नीत्व विवाह को मान्यता देती थी। बम्बई प्रान्त में बहुपत्नीत्व विवाह 1948 में और मद्रास प्रान्त में 1949 में समाप्त कर दिया गया था। हिन्दू विधि के अंतर्गत बहुपत्नीत्व विवाह कभी भी मान्य नहीं रहा। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 ने अब द्विविवाहों को समाप्त कर दिया गया है। धारा 5 (1) के अनुसार भी यह आवश्यक शर्त है कि विवाह के समय किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं हो। द्विविवाह शून्य है शून्यकरणीय नहीं, बल्कि शून्य है। धारा 11 द्वारा यह स्पष्ट है। इस संबंध में देखें **यमुना बाई बनाम अनंतराव ए0आई0आर0 1989 सु0को0 644** एवं **संतोष बनाम सुरजीत 1990 हि0प्र0 77** । विवाह का कोई पक्षकार यदि द्विविवाह कर लेता है तो वह विवाह शून्य है । बीना सिंह द्वारा प्रेषित गवाहों द्वारा यह कथन नहीं किया गया कि बीना सिंह का विवाह सूर्यभान सिंह से कब हुयी थी एवं किस हिन्दू रीति–रिवाज एवं रूढ़ियों के अनुसार हुयी थी, जैसा कि बीना सिंह द्वारा शपथ पत्र में कथन किया गया है। स्व0 सूर्यभान सिंह के जीवन काल का कोई भी ऐसा प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि बीना सिंह से उनका विवाह हुआ था। सुस्पष्ट रूप से बीना सिंह यह साबित करने में विफल रहीं है कि वे ही मृतक स्व0 सूर्यभान सिंह की व्यहता पत्नी हैं।

2–क्या आवेदकगण संख्या–2 व 3 मृतक सूर्यभान सिंह के ही पुत्र व पुत्री है?

आवेदक संख्या–'2 व 3 के पक्ष में बीना सिंह द्वारा दाखिल अरूण प्रताप सिंह, चन्द्रभान सिंह एवं बीना सिंह के शपथ पत्र में यह इंगित किया गया है कि बीना सिंह के वतन व स्व0 सूर्यभान सिंह के नुत्फे से दो सन्तानें पैदा हुयी थी जिनका नाम क्रमशः उत्कर्ष सिंह तथा अंशिका पैदा हुयी थी जो जीवित हैं

और विद्यालय में पढ़ रहीं हैं। विद्यालय से संबंधित अचीवमेंट रिकार्ड या रिपोर्ट कार्ड में अंशिका सिंह को सत्र 2014 से 15 में कक्षा –4 का विद्यार्थी महर्षि विद्या मंदिर का दिखाया गया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि 24.10.2007 स्पष्ट रूप से अंकित है एवं पिता का नाम सूर्यभान सिंह एवं माता का नाम बीना सिंह के रूप में उल्लिखित है। इसी प्रकार उत्कर्ष सिंह से संबंधित अचीवमेंट रिकार्ड या रिपोर्ट कार्ड में उसे सत्र 2014 से 15 में कक्षा 5 का विद्यार्थी महर्षि विद्या मंदिर का दिखाया गया है, जिसमें उनकी जन्म तिथि 14.4.2006 स्पष्ट रूप से अंकित है एवं पिता का नाम सूर्यभान सिंह एवं माता का नाम बीना सिंह के रूप में उल्लिखित है। परिवार रजिस्टर में भी उत्कर्ष सिंह उर्फ अंष प्रताप सिंह का नाम एवं अंशिका सिंह का नाम पुत्र एवं पुत्री के कालम में दर्शित है। प्रार्थिनी निर्मला सिंह द्वारा दाखिल निर्णयज विधि **(2015) 4 एस0सी0सी0 (सिविल) 175, (2014) 15 एस0सी0सी0 255 ईश्वरी बनाम पार्वती एवं अन्य** इस मुंकदमें में लागू नहीं होते है, क्योंकि उक्त दोनों आवेदकों से संबंधित रिपोर्ट कार्ड में स्कूल द्वारा उनकी जन्म तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की गयी है। यद्यपि उनकी माता बीना सिंह यह साबित करने में विफल रहीं कि उनका विवाह सूर्यभान सिंह से कानूनन हुआ था तब भी यह तथ्य साबित है कि आवेदक संख्या–2 एवं 3 स्व0 सूर्यभान सिंह के नुत्फे से एवं बीना सिंह के वतन से उत्पन्न सन्तानें हैं। वैध विवाह की सन्तान की एक दूसरे से और अपने माता–पिता से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधर्मज नातेदारी होती है। अवैध विवाह की सन्तान या विवाह वाह्य जन्मी सन्तान की आपस में और अपने पिता से अधर्मज नातेदारी होती है। उत्तराधिकार के संबंध में पिता से नाता धर्मज संबंध द्वारा ही होता है, परन्तु माता से नाता जन्मतः है। अतः सन्तान धर्मज हो या अधर्मज आपस में और माता से नातेदारी है, परन्तु माता से नाता जन्मतः है। धारा 3 के खंड ब के अनुसार संबंधीत से अभिप्रेत हैं। धर्मज कुल्यता संबंधित, परन्तु अधर्मज अपत्य अपनी माता से और परस्पर एक दूसरे से संबंधीत समझे जायेंगे और उसके धर्मज वंशज उनके और परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जायेंगे और किसी भी ऐसे शब्द का जो संबंध को अभिव्यक्त करें या सबंधी का घोतक करे तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, क्योंकि शून्य व शून्यकरणीय विवाह की सन्तान धारा 16 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धर्मज माना जाता है इसलिए शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न सन्तान को पिता से उत्तराधिकार का

अधिकार होगा। **रामेश्वरी देवी बनाम बिहार प्रदेश ए0आई0आर0 2000 सु0को0 735** परन्तु शून्य विवाह की पत्नी को यह अधिकार नहीं होगा । **नागरथ्था बनाम वेंकटालक्षम्मा 2000 कर्नाटक 181** । एम0एन0आ0 5/16 में निर्मला देवी द्वारा पारिवारिक न्यायालय फैजाबाद के वाद संख्या–370/03 का0सं0 11ग1/6 में सूर्यभान सिंह की जिरह का प्रपत्र दाखिल किया गया है, उसमें उत्कर्ष सिंह एवं अंशिका सिंह से संबंधित कोई भी सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया था इसके अतिरिक्त यह साबित करने का भार निर्मला सिंह पर था कि वह यह साबित करती कि ये दोनों आवेदक स्व0 सूर्यभान सिंह के नुत्फे से एवं बीना सिंह के वतन से उत्पन्न नहीं है। आवेदिका निर्मला सिंह यह साबित करने में विफल रहीं हैं कि आवेदकगण संख्या–2 व 3 मृतक सूर्यभान सिंह के पुत्र व पुत्री नहीं हैं। आवेदकगण संख्या–2 व 3 मृतक सूर्यभान सिंह के ही पुत्र व पुत्री है।

3–क्या निर्मला देवी मृतक सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी हैं?

श्रीमती निर्मला देवी ने यह अ0स0प्र0 वाद 5/16 अपने पति सूर्यभान सिंह के निधन के बाद बैंक आफ बड़ौदा एवं एस0बी0आई0 में जमा धनराशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया है। वर्णित अभिलेख 8ग/9 में मृतक सूर्यभान सिंह द्वारा निर्मला देवी के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए वाद संख्या–23/81 सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला देवी के वाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसके धारा 3 में सूर्यभान सिंह ने यह स्वीकार किया है कि निर्मला देवी का विवाह सूर्यभान सिंह से हिन्दू रीति–रिवाज के साथ संपन्न हुआ था तथा का0सं0 8ग/23, 8ग/19, 8ग/26 तथा 8ग/30 से यह स्पष्ट है कि सूर्यभान सिंह ने निर्मला देवी को अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए तलाक प्राप्त करने हेतु तमाम वाद प्रस्तुत किए थे जो निरस्त हो चुके हैं। इसी तरह सूर्यभान सिंह ने एक अन्य वाद 370/03 सूर्यभान सिंह बनाम निर्मला देवी विवाह विच्छेद करने के लिए प्रस्तुत किया था जिसकी धारा 1 में सूर्यभान सिंह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनका एवं निर्मला देवी का विवाह जून 1970 में हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। वाद पत्र की धारा 2 में पूर्व में उपरोक्त वर्णित वाद संख्या–23/81 का उल्लेख किया गया है। न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश फैजाबाद श्री तूफानी प्रसाद द्वारा पारित मूल वाद संख्या–370/03

का0सं0 11ग/4 ता. 12 है जिसमें यह धारित किया गया था कि पति –पत्नी के बीच सुलह वार्ता की गयी थी एवं वादी अलग रहने को तैयार था। प्रतिवादिनी निर्मला देवी पंद्रह लाख रूपये लेकर अलग होने को तैयार थी किन्तु वादी मु0 दो लाख रूपये देने को ही तैयार हुआ था जिस कारण सुलह नहीं हो पायी थी। वादी के आर्थिक स्तर को देखते हुए न्यायालय ने यह पाया था कि दो लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि बहुत ही कम आंकी गयी थी, जिस कारण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रस्तुत प्रकरण में इंगित उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से वादी के विवाह विच्छेद के मुकदमें को कोई बल नहीं मिल पाया। जिस कारण उसका वाद सव्यय अपास्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष अपील संख्या–132/09 प्रस्तुत किया गया था यह अपील विचाराधीन रहते हुए ही सूर्यभान सिंह का निधन हो गया जिस कारण यह अपील विधि अनुसार निरर्थक हो चुकी है। उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त निर्मला देवी द्वारा सूची 8ग/1 से क0सं0 1 लगा. 6 अर्थात 8ग/3 ता. 8ग/8 तथा सूची 13ग से प्रस्तुत का0सं0 13ग/11 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जिसमें मृतक सूर्यभान सिंह सेवारत थे द्वारा श्रीमती निर्मला देवी को सूर्यभान सिंह की मृत्यु के उपरान्त सूर्यभान सिंह द्वारा नामित मृतक की पत्नी निर्मला देवी को पारिवारिक पेंशन तथा उपादान आदि का भी भुगतान किया गया है। स्पष्ट रूप से सूर्यभान सिंह ने निर्मला देवी को विभागीय प्रपत्रों में अपनी पत्नी स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट है कि विभागीय अभिलेखों में भी पत्नी के रूप में निर्मला सिंह ही उनकी पत्नी हैं एवं वहीं मृतक सूर्यभान सिंह की उत्तराधिकारी भी हैं। अतः निर्मला देवी यह साबित करने में सफल रहीं हैं कि वे ही मृतक सूर्यभान सिंह की व्याहता पत्नी है।

विधवा संपत्ति में से एक भाग लेती है । एक से अधिक विधवा होने पर सब मिलकर एक भाग लेती हैं और आपस में उसे बराबर–बराबर बांट लेती हैं। यह नियम हिन्दू विवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व बहुपत्नीक विवाहों की पत्नीयों पर लागू होते थे, किन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात के द्विविवाहों पर नहीं, क्योंकि ऐसे द्विविवाह शून्य होते हैं और ऐसे विवाह की पत्नीयां विधवा की संज्ञा में नहीं आ सकती।

प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थनापत्र की प्रार्थिनी निर्मला देवी मृतक की पत्नी होने के नाते 1/2 भाग व विपक्षी उत्कर्ष उर्फ अंश प्रताप सिंह मृतक का पुत्र होने के नाते 1/4 भाग तथा कु0 अंशिका

सिंह मृतक की पुत्री होने के नाते 1/4 भाग के उत्तराधिकारी है। श्रीमती बीना सिंह का कोई अंश मृतक की सम्पत्ति में नहीं है। पक्षों के संबंध एवं अंश निर्विवाद है। मृतक का पुत्र एवं पुत्री अभी अवयस्क हैं, इस संबंध में उनकी माता श्रीमती बीना सिंह को उनका अंष प्राप्त करने का हक प्राप्त है। अतः उत्तराधिकार प्रार्थनापत्र उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3 क अ0प्र0सं0 142/15 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रा0 पत्र 3क 5/16 स्वीकार किया जाता है। मृतक के नाम जमा संपूर्ण धनराशि मु0 35,81,406.47 पैसा (पैंतीस लाख इक्यासी हजार चार सौ छः रूपया सैंतालीस पैसा) मय ब्याज के सम्बंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक न्याय शुल्क व स्टाम्प पेपर दाखिल करने पर प्रार्थिनी निर्मला देवी मृतक की पत्नी होने के नाते 1/2 भाग व विपक्षी उत्कर्ष उर्फ अंश प्रताप सिंह मृतक का पुत्र होने के नाते 1/4 भाग तथा कु0 अंशिका सिंह मृतक की पुत्री होने के नाते 1/4 भाग मय ब्याज के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाये। प्राथिर्नी एवं विपक्षी वांछित स्टाम्प की पैरवी अविलम्ब करें । प्रार्थिनी एवं विपक्षी की ओर से इस आशय की अण्डरटेकिग प्रस्तुत की जाये कि उक्त सम्पत्ति/धनराशि के बाबत यदि कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है, तो उक्त सम्पत्ति/धनराशि मय ब्याज सहित न्यायालय में निपेक्षित करना होगा। अवयस्क विपक्षियों के संबंध में उनकी माता बीना सिंह को उनका अंश प्राप्त करने का हक प्राप्त होगा। इस निर्णय की एक प्रति अ0प्र0सं0 5/16 में रखी जाय।

दिनांकः–20.12.2018

सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0